# न्यायालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

| प्रा0पत्र संख्या | रजि0 नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 15/32/2026 | 2026/........ | 02.06.2026 | 02.06.2026 |

**उनवान** सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ़ बनाम अज्ञात

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 5, 8 राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 व 11(1) (डी) पशु क्रूरता अधिनियम जप्तशुदा ऊंट को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

**–:निर्णय:–**

पत्रावली थानाधिकारी, पुलिस थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर के पत्र क्रमांक 976 दिनांक 15.04.2026 के आधार पर आज पेश हुई। पत्र पेश कर अवगत कराया है कि थाना हाजा के प्रकरण संख्या 96/26 धारा 5, 8 राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 व 11(1) (डी) पशु क्रूरता अधिनियम में जप्तशुदा एक ऊंट को थाना हाजा पर चारा पानी व ऊंट को रखने की सुविधा नहीं होने के कारण कास्तकार श्री रशीद पुत्र अलीशेर जाति मेव उम्र 42 साल निवासी डाबरी पुलिस थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर के लिये दिनांक 17.03.2026 को अस्थाई सुपुदर्गी पर दिया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण हाजा में अस्थाई सपुदर्गी पर दिये गये उक्त ऊंट के निस्तारण आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

जिसके क्रम में न्यायालय हाजा द्वारा पत्र दिनांक 20.05.2026 के द्वारा थानाधिकारी को पत्र जारी कर प्रकरण में जप्तशुदा एक ऊंट को किस सक्षम गौशाला को सुपुर्द किया जाना है, के संबंध में सूचना से अवगत करावे तथा साथ ही जिस गौशाला को सुपुर्द किया जाना हो उस संस्था/गौशाला से उक्त जप्तशुदा ऊंट को सुपुर्दगी पर लिये जाने के संबंध में लिखित सहमति पत्र भी भिजवाये जाने की व्यवस्था हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर द्वारा पत्र क्रमांक 1423 दिनांक 28.05.2026 के माध्यम से निवेदन किया कि प्रकरण हाजा में अस्थाई सपुदर्गी पर दिये गये उक्त ऊंट को बाबा गरीबदास नन्दी शाला एंव लावारिस पशु सेवा समिति खरखडी खुर्द ज्ञानपुरा बानूसर अलवर में दाखिल कराने की आदेश प्रदान करने की कृपा करें। पत्र के साथ बाबा गरीबदास नन्दी शाला एंव लावारिस पशु सेवा समिति

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

खरखडी खुर्द ज्ञानपुरा बानूसर अलवर में उक्त जप्तशुदा ऊंट को जमा कराये जाने का सहमति पत्र भी संलग्न कर प्रेषित किया है।

पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेजात एवं थानाधिकारी के पत्रो का अवलोकन किया गया। राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 की धारा 7 (1) में स्पष्ट है कि "जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथ ऊंट की अभिरक्षा मामले का अंतिम निपटारा होने तक सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेंसी को सौंपी जा सकेगी, परन्तु जहां किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेंसी नहीं हो, वहां सक्षम प्राधिकारी ऊंटों की रक्षा क्षेत्र के बाहर किसी भी ऐसी एजेंसी या किसी भी ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंप सकेगा जो ऐसे पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहे"

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक जब्तशुदा ऊंटों को प्रकरण से संबंधित व्यक्तियों को दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः थानाधिकारी पुलिस थाना गोंविन्दगढ़ जिला अलवर के पत्र दि0 15.04.2026 व 28.05.2026 एवं संलग्न बाबा गरीबदास नन्दी शाला एंव लावारिस पशु सेवा समिति खरखडी खुर्द ज्ञानपुरा बानूसर अलवर के सहमति पत्र दिनांक 27.05.2026 के आधार पर राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 की धारा 7 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में जब्तशुदा ऊंट को बाबा गरीबदास नन्दी शाला एंव लावारिस पशु सेवा समिति खरखडी खुर्द ज्ञानपुरा बानूसर अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान को सुपुर्दगी में दिये जाकर न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर को पालनार्थ प्रेषित की जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय आज दिनांक 02.06.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
अलवर (राज०)